("ग्रामीण सेवा शिविर–2025")

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)

तहसीलदार मण्डावर बनाम भोरीलाल

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मु.न. 736/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिरियत्सा जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.2025	यह प्रार्थना पत्र "ग्रामीण सेवा शिविर–2025" के दौरान राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत पटवारी, पटवार हल्का रायपुर ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। पटवारी हल्का रायपुर के निवेदन पर सुना गया। पटवारी हल्का ने निवेदन किया कि ग्राम टीकरी किलानोत पटवार हल्का रायपुर तहसील मण्डावर जिला दौसा की जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता संख्या 75 के खातेदार भोरया पुत्र टुण्डल हिस्सा 3/25 जाति बैरवा सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी का सही नाम भोरीलाल है। अतः प्रार्थी का नाम भोरया के स्थान पर भोरीलाल करने की कृपा करे। तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम टीकरी किलानोत पटवार हल्का रायपुर तहसील मण्डावर जिला दौसा की जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता संख्या 75 के खातेदार भोरया पुत्र टुण्डल हिस्सा 3/25 जाति बैरवा सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है जबकि प्रार्थी का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड व अन्य दस्तावेजों में भोरीलाल पुत्र टुण्डल जाति बैरवा दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार भी प्रार्थी का नाम भोरीलाल है। अतः भौरया के स्थान पर भोरीलाल किया जाना उचित है। पटवारी हल्का रायपुर की फर्द मौका रिपोर्ट में भौरया पुत्र टुण्डल व भोरीलाल पुत्र टुण्डल नि. टीकरी किलानोत एक ही व्यक्ति है। इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। प्रार्थी का सही नाम भोरीलाल पुत्र टुण्डल है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात व तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम टीकरी किलानोत की जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता संख्या 75 में प्रार्थी का नाम भोरया पुत्र टुण्डल दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का नाम पूर्व से ही भोरया पुत्र टुण्डल राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी उक्त प्रविष्ठी भोरया पुत्र टुण्डल को दुरूस्त करवाके भोरीलाल पुत्र टुण्डल करवाना चाहता है। तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट एवं आधार कार्ड, पहचान पत्र एवं पटवारी हल्का रायपुर की फर्द मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी के नाम की जमाबंदी में प्रविष्टि भोरया पुत्र टुण्डल दर्ज है जिसको दुरूस्त किया जाकर भोरीलाल पुत्र टुण्डल किया जाना उचित है। **आदेश** हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम टीकरी किलानोत, तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित खाता सं. 75 की जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि भोरया पुत्र टुण्डल को संशोधित किया जाकर भोरीलाल पुत्र टुण्डल किये जाने का आदेश तहसीलदार मण्डावर को दिया जाता है। शेष रिकार्ड मुताबिक जमाबंदी यथावत रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को सुनाया गया। (अमित कुमार वर्मा) R.A.S उपखण्ड अधिकारी मण्डावर दौसा उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	